Ao 15

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

सत्यमेव जयते

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवई नगर,नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं. कभनिसं/मुख्या./भर्ती/प्रतिनियुक्ति/विज्ञा.-04/2025/लेखापरीक्षा/ई-1129743/427 दिनांक: 21.04.2026

कार्यालय आदेश

विषय: श्री अर्पित सिंघल, वरिष्ठ सा.सु.सहा. क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रतिनियुक्ति के आधार पर लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति।

लेखा परीक्षक के पद पर चयन हेतु गठित स्क्रीनिंग-सह-चयन समिति की सिफ़ारिश पर, **श्री अर्पित सिंघल, वरिष्ठ सा.सु.सहा.** को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में लेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव जारी किया जाता है। यह नियुक्ति वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 [वेतन बैंड-2 रु.9300-34800, ग्रेड पे रु. 4200/- (संशोधन-पूर्व)] में प्रतिनियुक्ति के आधार पर, प्रारंभ में लेखा परीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी।

2. **प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की शर्तें एवं नियम इस प्रकार हैं:-**

(i) प्रतिनियुक्ति की शर्तें और नियम कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/229/91-स्था./(वेतन II) दिनांक 05.01.1994 कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्था.((वेतन II) दिनांक 17.06.2010 तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य अनुदेशों/ज्ञापन द्वारा अभिशासित होंगे।

(ii) अधिकारी की लेखा परीक्षक के रूप में तैनाती **आंतरिक लेखा परीक्षा दल, आंचलिक कार्यालय, भोपाल** में होगी; हालाँकि, प्रशासनिक आधार पर अधिकारी का तबादला कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के किसी भी अन्य कार्यालय में किया जा सकता है।

(iii) नियुक्ति आदेश तब जारी किया जाएगा, जब संबंधित अधिकारी की ओर से, उपर्युक्त नियमों और शर्तों के अधीन, नियुक्ति प्रस्ताव को स्वीकार करने की लिखित सहमति प्राप्त हो जाएगी।

(iv) वह नियमानुसार टीए/डीए और कार्यभार ग्रहण करने का समय लेने के पात्र होंगे।

(v) यदि चयनित अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष पूरे होने से पहले ही वापस अपने मूल विभाग में लौटना चाहता है, तो वापसी के समय उसे कोई स्थानांतरण टीए/डीए नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि अधिकारी एक वर्ष या उससे कम अवधि के भीतर वापसी का अनुरोध करता है, तो पहले से भुगतान किया गया स्थानांतरण टीए/डीए (यदि कोई हो) भी वापस लिया जा सकता है।

(vi) पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने पर, प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति की तिथि पर प्रतिनियुक्त अधिकारी को कार्यमुक्त माना जाएगा, जब तक सक्षम प्राधिकारी, प्रतिनियुक्ति की अवधि की समाप्ति तिथि से पूर्व लिखित रूप में विस्तारित न कर दे।

(vii) यदि कोई अधिकारी किसी भी कारण से निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रुकता है, तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा अन्य प्रतिकूल परिणाम भी भुगतने होंगे, जिसमें यह शामिल है कि अनधिकृत रूप से अधिक समय तक रुकने की अवधि को पेंशन के उद्देश्य के लिए सेवा में नहीं गिना जाएगा तथा अनधिकृत रूप से अधिक समय तक रुकने की अवधि के दौरान देय कोई भी वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से उस तिथि तक स्थगित कर दी जाएगी, जिस तिथि को अधिकारी अपने मूल कैडर में वापस आ जाता है।

3. यदि उपर्युक्त नियम एवं शर्तें स्वीकार्य हैं, तो **श्री अर्पित सिंघल, व.सा.सु.सहा.** अपनी लिखित सहमति और **नवीनतम सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र** कार्यालय को नियुक्ति के इस प्रस्ताव की प्राप्ति के 10 **दिनों** के भीतर प्रेषित करें।

(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी)

दीपक आर्य

(दीपक आर्य)
क्षे.भ.नि.आ.-II (भर्ती)

सेवा में,

श्री अर्पित सिंघल, वरि. सामाजिक सुरक्षा सहायक
(संबंधित अ. कें. भ. नि. आ., आंचलिक कार्यालय, भोपाल के माध्यम से)

प्रतिलिपि (कभनिसं वेबसाइट के माध्यम से)-

1. कें.भ.नि.आ. के निजी सचिव।
2. वि. सला. एवं मु. ले. अधि./मु. सत. अधि./ अ. कें.भ.नि. आ. (मुख्या. और अंचल)/ निदेशक (पीडीनास) के निजी सचिव।
3. सभी अ. कें.भ.नि. आ. मुख्यालय/अंचल।
4. मुख्य अभियंता/ मुख्य सूचना सूरक्षा अधिकारी।
5. क्षे.भ.नि.आ.-I (एएसडी) सहित सभी क्षे.भ.नि.आ. प्रभारी (क्षे.का.)।
6. मुख्यालय में सभी अधिकारी।
7. सभी उप निदेशक (सतर्कता)/आंचलिक लेखा परीक्षा दल।
8. क्षे.भ.नि. आयुक्त (एनडीसी) - आदेश वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
9. सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान/उप-आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान।
10. महासचिव, क.भ.नि. अधिकारी एसोसिएशन, लुधियाना।

दीपक आर्य

(दीपक आर्य)
क्षे.भ.नि.आ.-II (भर्ती)